निर्णय सुरक्षित

उत्तराखंड के उच्च न्यायालय नैनीताल में

2018 की रिट याचिका सीआरएल संख्या 1849

श्रीमती नीतू कैंथ और अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

परमजीत सिंह सागर प्रतिवादी

उपस्थित श्री राकेश थपलियाल वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ललित शर्मा द्वारा सहायता प्राप्त

याचिकाकर्ताओं के वकील

श्री वी0के0 कोहली वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कांति राम शर्मा द्वारा सहायता प्राप्त

प्रतिवादी के लिए वकील

माननीय लोक पाल सिंह जे0

वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता के द्वारा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत

दिनांक 09.05.2018, 06.09.2018 एवं 11.09.2018 के प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय देहरादून के द्वारा आपराधिक मामला संख्या 426/2017 नीतू कैंथ बनाम परमजीत सिंह सागर में पारित प्रश्नगत आदेशों को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

2. वर्तमान मामले की ओर ले जाने वाले तथ्य यह हैं

प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय देहरादून के द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.05.2018 के माध्यम से याचिकाकर्ता क्रमांक 1 को अपने बेटे मास्टर परनीत सिंह सागर के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया था ताकि पक्षकारों को मास्टर परनीत सिंह से मिलने की अनुमति दी जा सके।

पुनः प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय देहरादून ने आदेश दिनांक 06.09.2018 द्वारा निर्देशित किया था याचिकाकर्ता क्रमांक 1 को दिनांक 09.05.2018 के आदेश का पालन करने के लिये कहा गया है।

प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय देहरादून ने आदेश दिनांकित 11.09.2018 ने अपने आदेश में कहा है कि इसके बावजूद आदेश याचिकाकर्ता नंबर 1 अपने बेटे को नहीं लाया है और आवेदन खारिज कर दिया

3. पक्षों की विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. यह पार्टियों का स्वीकृत मामला है कि मास्टर परनीत सिंह सागर करीब 9 साल का नाबालिग है जो अपनी माँ अर्थात् श्रीमती नीतू कैंथ के साथ रह रहा है।

5. कई अवसरों पर निचली अदालत ने आदेश पारित किया है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 अपने बेटे को पेश करे ताकि मास्टर परनीत सिंह सागर से पार्टियां मिल सके लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा इन आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है और वर्तमान में उक्त आदेशों को चुनौती दी है

6. इस कोर्ट की नजर में एक तरफ याचिकाकर्ता विपक्षी संख्या 1 से सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण.पोषण की मांग कर रही है और दूसरी ओर वह स्वयं निचली अदालत द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन नहीं कर रही है

7. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता नं् 1 खुद निचली अदालतों द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन नहीं कर रही है, याचिकाकर्ता इस न्यायालय से किसी भी हस्तक्षेप का मामला बनाने में विफल रहे

8. परिणामस्वरूप रिट याचिका निरस्त समझी जाय। अंतरिम आदेश दिनांक 04.10.2018 इस प्रकार से समाप्त किया जाता है।

लोकपाल सिंह जे0

25.01.2021